न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– **रमेश देव** (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 275 / 2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 / 48 / 49 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुखदीप सिह पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जटासिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम्

1. राजपाल सिंह पुत्र दिलराज सिंह जाति जटासिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. इन्द्राज सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति जटासिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार(राजस्व)संगरिया
4. ताराचंद पुत्र बैजराज जाति जाट निवासी नुकेरा तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादी
2. श्री परमजीत कौर–वकील प्रति 1 ता 2
3. श्री विवेक बुडानिया –वकील प्रति स 4

निर्णय

दिनांक :–17 / 06 / 2023

वादी सुखदीप सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 13 / 06 / 2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी के नाम चक न. 4 पी.टी.पी ज.स. 2072–2075 के खाता सख्या 112 / 84 मे 1.687 हे0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। व प्रतिवादी स 1 के नाम इसी चक के खाता सख्या 119 / 36 मे 3..543हे0 व प्रतिवादी स 2 के नाम इसी चक के खाता स 118 / 36 मे 3.593है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। जो मृत्क मिठू सिंह के वारिस है।वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि पूर्व मे सयुक्त खाता की थी जो बाद मे खाता विभाजन मे भूलवंश कि.न का सही अकंन नही हो सका कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। जो मृत्क मिठू सिंह के वारिस है।वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि पूर्व मे सयुक्त खाता की थी जो बाद मे खाता विभाजन मे भूलवंश कि.न का सही अकंन नही हो सका। मुताबिक कब्जा काश्त वादी प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज भूमि चक न 4.पी.टी.पी के खाता स 119 / 36 मे प.न 140 / 137 मु.न 23 कि.न 8 / 0. 253है0,13 / 0.253, 15 / 1 / 0.228है,15 / 2 / 0.025है गे.मु.रा कुल–0.759है का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 इतना हिस्सा कम करवाना चाहता है इसीप्रकार चक न 4.पी.टी.पी के खाता स 112 / 84 मे प.न 141 / 139 मु.न 31 कि.न 9–12–19 / 0.759है कि.न 21 / 3 / 0.084है कुल–0.843है का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का इतना हिस्सा कम करवाना चाहते है। वादी इसी अनुसार घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई

17/6/23

बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि प्रतिवादी संख्या 3 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी स 2 को पूर्व मे खाता विभाजीत होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। **(क)** कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज भूमि चक न 4.पी.टी.पी ज.स–2072–2075 खाता स 119/36 मे प.न 140/137 मु.न 23 कि.न 8/0.253है0,13/0.253, 15/1/0.228है,15/2/0.025है गे.मु.रा कुल–0.759है का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 इतना हिस्सा कम किया जावे। इसी प्रकार वादी के नाम दर्ज चक न 4.पी.टी.पी के खाता स 112/84 मे प.न 141/139 मु.न 31 कि.न 9–12–19/0.759है कि.न 21/3/0.084है कुल–0.843है का प्रतिवादी स 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का इतना हिस्सा कम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी ताराचन्द पुत्र बैजराज ने जरिये अधिवक्ता प्रर्थाना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी प्रस्तुत किया जिसे वकील वादी ने कोई विरोध नही किया प्रतिवादी स 4 के रूप मे संयोजित किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 3 का जबाव दावा पेश हुआ। प्रतिवादी स 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मैय कउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेष 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं चक न 4.पी.टी.पी ज.स. 2070–2073 के खाता सख्या 112/84 व खाता सख्या 119/36 व खाता स 118/36 नहरी कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 ता 3 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज भूमि चक न 4.पी.टी.पी ज.स–2072–2075 खाता स 119/36 मे प.न 140/137 मु.न 23 कि.न 8/0.253है0,13/0.253, 15/1/0.228है,15/2/0.025है गे.मु.रा कुल–0.759है का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 इतना हिस्सा कम किया जावे। इसी प्रकार वादी के नाम दर्ज चक न 4.पी.टी.पी के खाता स 112/84 मे प.न 141/139 मु.न 31 कि.न 9–12–19/0.759है कि.न 21/3/0.084है कुल–0.843है का प्रतिवादी स 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का इतना हिस्सा कम किया जावे। वकील प्रतिवादी स 4 ने कथन

प्रभारी (SDO)

क्रिया की प्रतिवादी स 4 का जवाब दावा मैय काउन्टर क्लेम के अनुतोष (क) व (ख) के अनुसार डिक्री फरमाया जावे । वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 3 प्रदर्श किये गए। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 ता 3 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी व प्रतिवादी स 4 का काउन्टर क्लेम उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज भूमि चक न 4.पी.टी.पी ज.स–2072–2075 खाता स 119/36 मे प.न 140/137 मु.न 23 कि.न 8/0.253है0,13/0.253, 15/1/0.228है,15/2/0.025है गे.मु.रा कुल–0.759है का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 इतना हिस्सा कम किया जाता है। इसी प्रकार वादी के नाम दर्ज चक न 4.पी.टी.पी के खाता स 112/84 मे प.न 141/139 मु.न 31 कि.न 9–12–19/0.759है कि.न 21/3/0.084है कुल–0.843है का प्रतिवादी स 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का इतना हिस्सा कम किया जाता है। एव प्रतिवादी सख्या 4 का काउटर क्लेम की चरण सख्या 8 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग की जाती है। व चक न 4 पी.टी.पी के ज.स 2072–75 मे खाता स 118/36 मे प्रतिवादी स 4 को 0.304है व इसी चक के खाता स 119/36 मे 0.118है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 व 2 का इसी अनुसार हिस्सा कम किया जाता है

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक..17...../..06../2023. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
(अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 275 / 2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88,48,49 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुखदीप सिह पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जटासिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम्

1. राजपाल सिंह पुत्र दिलराज सिंह जाति जटासिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. इन्द्राज सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति जटासिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार(राजस्व)संगरिया
4. ताराचंद पुत्र बैजराज जाति जाट निवासी नुकेरा तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 17 / 06 / **2023**

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री परमजीत कौर वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 , श्री विवेक बुडानिया वकील प्रतिवादी स 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज भूमि चक न 4.पी.टी.पी ज.स–2072–2075 खाता स 119 / 36 मे प.न 140 / 137 मु.न 23 कि.न 8 / 0.253है0, 13 / 0.253है, 15 / 1 / 0.228है,15 / 2 / 0.025है गे.मु.रा कुल–0.759है का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 इतना हिस्सा कम किया जाता है। इसी प्रकार वादी के नाम दर्ज चक न 4.पी.टी.पी के खाता स 112 / 84 मे प.न 141 / 139 मु.न 31 कि.न 9–12–19 / 0.759है कि.न 21 / 3 / 0.084है कुल–0.843है का प्रतिवादी स 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का इतना हिस्सा कम किया जाता है। एव प्रतिवादी सख्या 4 का काउटर क्लेम की चरण सख्या 8 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग की जाती है। व चक न 4 पी.टी.पी के ज.स 2072–75 मे खाता स 118 / 36 मे प्रतिवादी स 4 को 0.304है व इसी चक के खाता स 119 / 36 मे 0.118है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 व 2 का इसी अनुसार हिस्सा कम किया जाता है काउन्टर क्लेम की चरण स 8 निम्न प्रकार है–

प्रतिवादी स 4 ताराचन्द पुत्र बैजराम का हक व हिस्सा की भूमि
चक न 4.पी.टी.पी

प.न	मु.न	कि.न
141 / 135	10	17 / 3 / 0.051है0, 17 / 4 / 0.118है 24 / 0.253है0 कुल–0.422है0

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17 / 06 / 2023. जारी किया गया।